**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद**

**पीठासीन अधिकारी** :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 47/2026
किस्म :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक : 10.04.2026
निर्णय दिनांक: 15.04.2026

**अनवान**

1– गिरीराज सिंह पिता भंवरसिंह देवडा जाति राजपुत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
2– कमल सिंह पिता भंवरसिंह देवडा जाति राजपुत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
3– पुष्कर सिंह पिता भंवरसिंह देवडा जाति राजपुत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
4– सोहनकुंवर पत्नि भंवरसिंह देवडा जाति राजपुत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

**बनाम**

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

# निर्णय

प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रेलमगरा, पटवार हल्का रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की सीमा में प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी संख्या 3368/2213 कृषि भूमि स्थित है। विपक्षी की आराजी संख्या 4437/2213 प्रमाण में जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की भुमि में आने जाने हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। चूंकि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है इसलिए विपक्षीगण विवाद करते है उक्त रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो मुख्य रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है जबकि प्रार्थीगण की जमीन में आने जाने का एक मात्र यही रास्ता है, जिससे प्रार्थीगण आते जाते रहे है व अपने हल बैल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से काफी निवेदन किया लेकिन विपक्षीगण मानने को तैयार नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में आने जाने से वंचित हो जायेगे प्रार्थीगण अपने खेतो में फसल भी नहीं बो पायेगे उपज आदि नहीं ला पायेगे। प्रार्थीगण के खेतो में जाने का एक मात्र विपक्षी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से होकर उक्त जाने वाला ही एक मात्र रास्ता है प्रार्थीगण की जमीन में जाने आने के लिए अन्य कहीं से भी कोई रास्ता मौजुद नहीं है। जिस वजह से प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क के अन्तर्गत रास्ता कायम एवं रेकार्ड पर नक्शे इत्यादि में 30 फीट चौडा एंव सम्पुर्ण लम्बाई में रास्ता दर्ज कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है तथा धारा 251 ए के तहत अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए चाहे गये रास्ते के एवज में प्रार्थीगण विपक्षीगण को आप न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सम्यक मुआवजा राशि अदा करने के लिए सदेव तत्पर हैं व आपके आदेश की पालना करने के लिए वचनबद्ध हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अतः आप श्रीमान् से प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा में स्थित विपक्षीगण की आराजी संख्या 4437/2213 जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के पैरा सख्या 01 में वर्णित किया गया है में रेकार्डेड मुख्य आम रास्ते से 30 फीट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा साथ सलंग्न है उसके अनुसार उपलब्ध कराई जावें एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में घोषित करते हुऐ रास्ते के रूप में दर्ज कराया जावे। अन्य अनुतोष जो प्रार्थीगण के लिए हितकर हो वह भी दिलाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गये। विपक्षी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कि गयी। कि प्रार्थी गिरीराजसिंह पुत्र भंवरसिंह जी देवडा जाति राजपूत निवासी हाल मदारा द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या 3368/2213 में जाने के लिए आराजी 4437/2213 किस्म बिलानाम भूमि में से 30 फीट चौडाई में सशुल्क रास्ता चाहा गया है। जिसके सम्बंध में पटवारी हल्का रेलमगरा से बाद जांच के रिपोर्ट ली गई। प्रकरण में जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है, यह कि ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या 3368/2213 राजस्व रेकार्ड में कमलसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/4, गिरीराजसिंह पुत्र भवरसिंह 1/4, पुष्करसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/4, सोहन कवंर पत्नि स्व. भंवरसिंह 1/4, जाति राजपुत रकबा 0.2732 हैक्टेयर किस्म बंझड निवासी मदारा के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 4437/2213 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बिलानाम उसर दर्ज रेकॉर्ड स्थित है उक्त बिलानाम भूमि से 30 फीट चौडा रास्ता चाहा गया जो कि नक्शा ट्रेश अनुसार प्रस्तावित किया गया है। जिसकी चौडाई 9.1 मीटर एवं लम्बाई 16 मीटर होकर कुल रकबा 0.0145 हैक्टेयर बनता है। प्रस्तावित रास्ता कांकरोली – रेलमगरा सड़क से सटमा, एनएच 162,ए से 1350 मीटर दूरी एवं आबादी से 1380 मीटर, अन्य रूपान्तरित आबादी से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि की डी०एल०सी० दर अनुसार गणना रिपोर्ट टी०आर०ए० शाखा से ली गई जिसके अनुसार वर्तमान प्रचलित डी०एल०सी० दर 88,23,100/– रूपये प्रति हैक्टेयर से रकबा 145 वर्गमीटर भूमि की दो गुणा राशि 2,56,000 रूपये बनते है।

अतः प्रकरण में प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि ग्राम रेलमगरा के आराजी नम्बर 3368/2213 में आने–जाने के लिए आराजी संख्या 4437/2213 किस्म बिलानाम उसर भूमि में से रास्ता दिया जाने की अनुशंषा की जाती है। मूल प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी मौजा ग्राम रेलमगरा में स्थित हैं। उक्त आराजियात पर पूर्व से ही रास्ते के उपयोग–उपभोग में ली जा रही है। प्रार्थी की जमीन इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें। राजकीय शुल्क प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी की द्वारा बहस में दिए गए उजरात पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी की आराजी नम्बर 3368/2213 का खातेदार काश्तकार होना ताईद है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी मौका जांच रिपोर्ट

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

करवाई गई उक्त आराजियात में प्रार्थी को आने–जाने के लिए निकटतम दूरी का रास्ता ही प्रस्तावित किया गया इसके अतिरिक्त निकटतम कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आने–जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता रहती हैं जिससे तहसीलदार रेलमगरा की जांच रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं की ग्राम रेलमगरा में अप्रार्थी की आराजी नम्बर ५५३७/2213 में से 16 मीटर लम्बाई एंव 9.1 मीटर चौडाई कुल 145 वर्गमीटर यानि उपरोक्त आराजीयात से कुल रकबा 145 वर्गमीटर भुमि प्रस्तावित की गई। प्रस्तावित भुमि की डी.एल.सी. अनुसार राशि 88,23,100/– प्रति हैक्टर से रकबा 112 वर्गमीटर भुमि की दो गुणा राशि 2,56,000/–रूपये बनते है। प्रार्थी नियमानुसार तहसीलदार रेलमगरा के कार्यालय में जमा करावें। उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें। तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा। तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा**
**(राजसमंद)**